राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] lnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांकः– सर0/कृषि/23/2022–23–　　　　　　　　　　दिनांकः –24.03.2023

fufonk& lpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में फार्म के (खण्ड 4 के चक संख्या 39,40,42,43,44,45,46 पीबीएन) व (खण्ड 5 के चक संख्या 47,48,49,50,51,52 पीबीएन) में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

d-l-	dk;l fooj.k
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
2.	विभिन्न चको मे आधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ो की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओ एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
3.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की जड़ो को उखाड़ने पश्चात बने गढ़ढो में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।

उपरोक्त कार्यो के लिए धरोहर राशि रूपये 10000.00 प्रति चक निर्धारित है। निविदा दिनांक 18.04.2023 को शाम 3.00 बजे तक आमंत्रित कि जाती है जो कि उसी दिन 3.30 बजे फार्म मुख्यालय में गठित समिति द्वारा उपस्थित पार्टियों के सामने खोली जायेगी ।

अतः इच्छुक ठेकेदार/पार्टिया संवंधित कार्य का डिमाण्ड़ ड्राफ्ट जो कि **“u'kuy lhMl dkjik;j'ku fyfeVM, ljnkjx<”** के नाम से सूरतगढ में देय हो, फार्म खजान्ची के पास धरोहर राशि के रूप में जमा कराकर निविदा में भाग ले सकते है। नीलामी संम्बधी नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ली जा सकती है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी । टेण्डर फार्म रू.236/– (Including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

सहा महाप्रबंधक (उत्पादन)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM
dsUnzh; jkT; QkeZ lwjrx<] jk0

QkeZ i{k= eas [kMs fofHkUu tqyhQjk dk tM+ dh lrg ls dkVus ds ckn dqRrj cukus ds dk;Z dh fu;e o 'krsZA

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक कार्य हेतू रूपये 10000/–(रूपये दस हजार मात्र) प्रति चक जिसमें कार्य खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की लकड़ी जड़ की सतह से काटना व कुत्तर करना) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि **"u'kuy lhM~l dkiksZjs'ku fyfeVsM] lwjrx<+"** के नाम से सुरतगढ. में देय हो खजान्ची के पास जमा करवाने होंगा, चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. सक्षम अधिकारी/फार्म निदेशक को यह अधिकार होगा कि उच्चतम टेण्डर/बोली को स्वीकार करें अथवा नहीं करें। इसकी सूचना तुरन्त या अगले दिन घोषित कर दी जाऐगी।
4. कुत्तर की जाने वाली लकड़ियों कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
5. जूलीफेरा (विलायती कीकर) कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा–मोटा जो भी जूलीफेरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
6. अन्तिम रिलिज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा ।
7. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाऐगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
8. प्रत्येक वाहन को सम्बन्धित खण्ड के धर्मकांटे पर तुलाई के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी तथा हर वाहन का गेट पास कटवाने के बाद ही माल बाहर जाने दिया जायेगा।
9. जूलीफेरा (विलायती कीकर) एवं आंधी तूफान से गिरे देशी किकर इत्यादि पेड़ो की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओ एवं पेड़ो के छांगन का कुत्तर बनाने के कार्य तथा विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की जड़ो को उखाड़ने पश्चात बने गढ़ढो में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर ले जाने की अवधि 31.03.2024 तक होगी आवश्यकतानुसार कुत्तर बनाने के कार्य की अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।
10. ठेकेदार को सभी कार्य चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी की देखरेख व निर्देशानुसार करना होगा।
11. कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ दुर्घटना/नुकसान इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टी/ठेकेदार को रूपये 100/– (रूपये मात्र सौ) का नॉन–ज्यूडिसयल स्टाम्प पेपर एग्रीमेन्ट के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जाऐगा।
13. उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. यदि कुत्तर ठेकेदार द्वारा जानबुझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ या पेड़ की मोटी शाखा काट कर कुत्तर बना दिया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता बार–बार ऐसा करते है तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें।
15. इस संबंध में राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझनें की स्थिति में मामले का समाधान/निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, राष्टीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधीनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अतिंम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाधन का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल सूरतगढ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार की पक्षकारों पर लागू होंगा।
16. कार्य की अवधि वर्ष 2023–24 तक रहेगी।

नोटः– उपरोक्त नियम व शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ व समझ ली है तथा मुझे मान्य है एवं इनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

fufonknkrk dk gLrk{kj

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांक :– सर/कृषि/23/2022–23–　　　　　　　　　　दिनांकः –

[k.M l[;k@pd l[;k&-----------------------------

Qke i{k= e [kM foyk;rh dhdj ¼tqyhQjk½ dk tM dh lrg l dkVu d ckn dRrj cuku ,o tMk dk m[kkMdj rky d vk/kkj ij yu tku dk V.Mj Qke

Ø- l-	dk;Z fooj.k	nj izfr fDoVy Qke dk tek djokÅxk ¼:i;s e½
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) को जमीन की सतह से काटकर कर अपने साधन से कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	....
2.	विभिन्न चको मे आंधी तूफान से गिरे देशी कीकर इत्यादि पेड़ो की 6 इंच या इससे छोटी शाखाओ एवं छांगन की कुत्तर बनाकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	....
3	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलिफेरा) की जड़ो को उखाड़ने पश्चात बने गढ़ढो में मिट्टी को भरना एवं उखाड़ी गयी जड़ को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।	

हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

स्थायी पता :– ....

....

....

फोन नं. :– ....

पेन कार्ड नं. :–...